



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास

दिनांक- 14.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना सलेमपुर पर ग्राम कैलावन के दो युवको भुपेन्द्र उर्फ गोलू व जगदीश उर्फ भूरा का अपहरण कर हत्या करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मुअसं-198/2022 धारा 364,302,201,34 भादवि, पुलिस टीम पर फायरिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत मुअसं- 201/22 धारा 307 भादवि, बरमदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत मुअसं-202/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मुअसं-203/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मुअसं-208/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मुअसं-209/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त दुर्गेश उर्फ दीपांशु पुत्र स्व किशन गोपाल व तुषार शर्मा पुत्र स्व किशन गोपाल को मा० न्यायालय एडीजे 14/ स्पेशल ई०सी० कोर्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा आजीवन कारावास व अभियुक्त दुर्गेश को 1.75 लाख व अभियुक्त तुषार शर्मा को 1.55 लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।**



श्री आशुतोष सिंह
(ADGC)



श्री योगेश शर्मा
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



है०का० प्रवीन राठी
(पैरोकार)



का० विकास पवार
(कोर्ट मोहर्रि)